B. **भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः—** प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन.बी.सी. 2005 की आवासीय भवन (ए—4)—3 की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

C. **ढांचागत व्यवस्थाः—**

1. **पहुँच मार्गः—** प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार वाराणसी—बाबतपुर एन0एच—56 से पश्चिम की तरफ 12.00 मीटर चौड़ी रोड पर मेन रोड से लगभग 120 मीटर की दूरी पर रोड से दक्षिण—पश्चिम की तरफ स्थित है, जो नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के पार्ट III के क्लाज 4.3 के मानक के अनुरुप है।
2. **प्रवेश द्वार की चौड़ाई—** प्रस्तावित भवन के मानचित्र में एक प्रवेश द्वार बनाया जाना प्रदर्शित है।
3. **सेटबैक :—** प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत हैः—

ए—	अग्रभाग—	21.00 मीटर
बी—	पृष्ठभाग—	14.00 मीटर
सी—	पार्श्व प्रथम—	14.00 मीटर
डी—	पार्श्व द्वितीय—	14.00 मीटर

सेटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 पार्ट III के क्लाज 8.2.3.1 के मानक के अनुसार सही है। सेटबैक को हमेशा अवरोध मुक्त रखा जायेगा। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4. **निकास मार्गः—** प्रस्तावित भवन में 06 स्टेयर केस बनाया जाना है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
5. **ऊँचाई—** प्रस्तावित भवन की भूमि तल से ऊँचाई 44.80 मीटर है।
6. **रिफ्यूज एरिया का विवरणः—** रिफ्यूज एरिया नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 पार्ट IV के क्लाज 4.12.3 के मानक का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

D. **प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणालीः—**

नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य हैः—

1. **प्रवेश द्वार—** प्रस्तावित भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई वाराणसी—बाबतपुर एन0एच—56 से प्रस्तावित भवन तक आ रहे 12.00 मीटर चौड़ी सड़क के बराबर बनाया जाय ऊँचाई 05.00 मीटर से कम न रखी जाय एवं मुख्य प्रवेश/निकास द्वार को हमेशा अवरोधमुक्त रखा जाय।
2. **निकास मार्ग—** प्रस्तावित भवन के चौदहवें तल से आने वाले स्टेयर केस को भूतल पर टर्मिनेट कर दिया जाये, किसी भी दशा में स्टेयर केस को ऊपरी तलों से बेसमेन्ट तक निरन्तरता नहीं होनी चाहिए या भूतल पर चार घंटा रेटिंग का स्मोक चेकडोर आई0एस0 3614(पार्ट—1):1966 के अनुरुप लगाया जाय। स्टेयर केस को नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के अनुसार ट्रीड—300 मि0मी0, राइजर—150 मि0मी0 व विड्थ—1500 मि0मी0 का बनाया जाय।
3. **रैम्प—** प्रस्तावित भवन में 02 रैम्प का निर्माण कराया जाना है। रैम्प का निर्माण 09.00 मीटर का मोटरेबुल सेटबैक छोड़ने के बाद ही निर्माण किया जाय।
4. **भूमिगत टैंक—** एन.बी.सी.—2005 के मानकों के अनुसार 75000 लीटर का बनाया जाना आवश्यक है।
5. **पम्पः—** भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का इलेक्ट्रिक पम्प—एक अदद, 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का डीजल पम्प एक अदद व 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जॉकी पम्प— एक अदद स्थापित किया जाना आवश्यक है।
6. **होजरीलः—** प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.—3844 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
7. **वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टमः—** प्रस्तावित भवन में वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
8. **यार्ड हाइड्रेन्ट :—** प्रस्तावित भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप तथा ब्रांच एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई.एस.— 13039:1991 के अनुसार स्थापित किया जाना

----3पर